

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.16(1) एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक - 30.10.2017 एवं दिनांक - 09.12.2017 के अनुसारण में शिक्षा अधीनस्थ/मन्त्रालयिक कार्मिकों को निम्नानुसार आश्वसित कैरियर प्रगति स्कीम (एसीपी) वर्तमान में-ग्रीडिंग लेवल में स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/शुश्री.....	नियमित नियुक्ति दिनांक	सेवा अवधि (वर्षों में)	प्राप्त लेवल	स्वीकृत लेवल	प्रभावी तिथि	वि०वि०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रुक्मिणी देवी, श्रीप्रतिष्ठित, डाईट, मोनर, जयपुर	13.12.91	27	L-12	L-13	13.12.18	-
2	महेश कुमार तिवारी, श्रीप्रतिष्ठित, जिलाशिक्षा, प्रारंभिक, जयपुर मुख्यालय	06.12.91	27	L-12	L-13	06.12.18	-
3	दामोदर प्रसाद मिश्रा, व०रा० राउमावि, टोडा गीणा, ज०रा०, जयपुर	13.11.91	27	L-10	L-11	13.11.18	-
4	स्व० श्रीमती अंजुला गुप्ता, व० राउमावि, माकरोटा, जयपुर	02.11.91	27	L-12	L-13	02.11.18	-
5	रेखा गुप्ता, व० राउमावि, सांगानेर, जयपुर	30.10.91	27	L-12	L-13	30.10.18	-
6	विजय कुमार जैन, व० राउमावि, मोदीखाना, जयपुर	01.07.91	27	L-13	L-14	01.07.18	-
7	सुरेश चन्द्र मोहम्मद, व० राउमावि, मोहम्मदपुर, डिडावता, फागी	12.07.91	27	L-12	L-13	12.07.18	-
8	कैलाश चन्द्र जाट, व० राउमावि, डिडावता, फागी, जयपुर	22.12.90	27	L-12	L-13	22.12.17	-
9	हरिश चन्द्र, व० राउमावि, वाटिका, जयपुर	01.07.91	27	L-13	L-14	01.07.18	-
10	सुपम शर्मा, व० राउमावि, सायपुरा, सांगानेर, जयपुर	19.08.91	27	L-12	L-13	19.08.18	-
11	सुरेश कुमार मोदी, व० राउमावि, साईबाद, शाहपुरा, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	-
12	रामजीलाल, व० राउमावि, गाडोता, दूदू, जयपुर	19.10.91	27	L-12	L-13	19.10.18	-
13	कृष्णा धाकड़, व० राउमावि, खूरार, सांगानेर, जयपुर	01.12.99	18	L-12	L-13	01.12.17	-
14	दीपक एम. चन्दा, व० राउमावि, बियुन, दूदू, जयपुर	09.10.91	27	L-10	L-11	09.10.18	-
15	लोटन सिंह, व०रा० राउमावि, बहतुकरा, कटुमार, अलवर	01.07.91	27	L-12	L-13	01.07.18	-

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.17 के पैरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.17 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें -

01 पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

02 सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर विभागीय जाँच प्रस्तावित/लम्बित नहीं है एवं पूर्व में कोई दण्ड नहीं दिया गया है।

03 जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (रामावि०) को 27 वर्षीय ए०सी०पी० स्वीकृत की गई है। यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी०पी०सी० से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। तृ०वे०श्रु० से व०रा० पद पर पदोन्नत शिक्षकों के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक- पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06-10-2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए०सी०पी० स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त स्वामी)

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

दिनांक 09-01-2019

क्रमांक-संशिनि/मा/जय/संस्था-5/एफ-एसीपी लेवल/32/2019
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज० बीकानेर।
- संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारंभिक, मुख्यालय, / ब्लॉक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर/अलवर/दौसा को उक्त कार्मिकों/शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
- संबन्धित सारथी प्रधान/ संबन्धित कार्मिक/शिक्षक।
- रक्षित पत्रावली।

(विष्णु दत्त स्वामी)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.15(1) एफ.डी./रुल्स/2017 दिनांक - 30.10.2017 एवं दिनांक - 09.12.2017 के अनुसरण में शिक्षा अधीनस्थ/मन्त्रालयिक कार्मिकों को निम्नानुसार आशवासित कैरियर प्रगति स्कीम (एसीपी) वर्तमान पे-मैट्रिक्स लेवल में स्वीकृत किया जाता है।

क. सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री.....	नियमित नियुक्ति दिनांक	सेवा अवधि (वर्षों में)	प्राप्त लेवल	स्वीकृत लेवल	प्रभावी तिथि	वि०वि०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रमोद कुमार नागरवाल, वअ राउप्रावि, उदयपुरिया, नानण, दूदू, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	-
2	हनुमान प्रसाद जाट, वअ राउप्रावि, महेशवास, हरिनोदा, दूदू, जयपुर	11.07.91	27	L-12	L-13	11.07.18	-
3	रामेश्वर लाल जाट, वअ राउप्रावि, माल की ढाणी, दूदू, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	-
4	सूरज मल जाट, वअ राउप्रावि, गून्दीदडा, नारायणा, दूदू, जयपुर	12.12.90	27	L-12	L-13	12.12.17	-
5	माधुराम जाट, वअ राउप्रावि, भारतोलाव, नारायणा, दूदू, जयपुर	12.12.90	27	L-12	L-13	12.12.17	-
6	कैलाश चन्द्र शर्मा, वअ राउप्रावि, भावसर, रामसर पालावाला, बस्ती, जयपुर	28.11.90	27	L-12	L-13	28.11.17	-
7	मालीराम बुनकर, वअ राउप्रावि, लेसवा, खेजरोली, गोविन्दगढ़, जयपुर	08.01.91	27	L-12	L-13	08.01.18	-
8	बजरौर सिंह महला, वअ राउप्रावि, जाहरवाडा, गोविन्दगढ़, जयपुर	20.12.90	27	L-12	L-13	20.12.17	-
9	बन्नीधर रोज, वअ राउप्रावि, वार्ड न० 7, हस्तेडा, गोविन्दगढ़, जयपुर	22.12.90	27	L-12	L-13	22.12.17	-
10	रामबाबू शर्मा, वअ राउप्रावि, पर्वतपुरी गुणी, जयपुर पूर्व, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	-
11	शम्भू दयाल रैगर, वअ राउप्रावि, बागौरी, भौनावास, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	-
12	रमेश कुमार धानका, वअ राउप्रावि, चारणवास, करणसर, जयपुर	22.02.90	27	L-12	L-13	22.02.17	-
13	रामबक्स बुनकर, वअ राउप्रावि, गुढामान, सांभरलेक, जयपुर	11.07.91	27	L-12	L-13	11.07.18	-
14	जौहरी लाल बैरवा, वअ राउप्रावि, हरबंसपुरा, फागी, जयपुर	04.12.90	27	L-12	L-13	04.12.17	-

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.17 के पैरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.17 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

- 01 पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
- 02 सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर विभागीय जॉच प्रस्तावित/लम्बित नहीं है एवं पूर्व में कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- 03 जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (रामावि०) को 27 वर्षीय ए०सी०पी० स्वीकृत की गई है। यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी०पी०सी० से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। तू०वे०श्रु० से व०अ० पद पर पदोन्नत शिक्षको के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक- पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06-10-2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए०सी०पी० स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

दिनांक 09-01-2019

क्रमांक-संशिनि/मा/जय/संस्था-5/एफ-एसीपी लेवल/33/2019
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज० बीकानेर।
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारंभिक, मुख्यालय, / ब्लॉक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर/अलवर/दौसा को उक्त कार्मिको/शिक्षको की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
03. संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक/शिक्षक।
04. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.15(1) एफ.डी./रुल्स/2017 दिनांक - 30.10.2017 एवं दिनांक - 09.12.2017 के अनुसरण में शिक्षा अधीनस्थ/मन्त्रालयिक कार्मिकों को निम्नानुसार आश्वसित कैरियर प्रगति स्कीम (एसीपी) वर्तमान पे-मैट्रिक्स लेवल में स्वीकृत किया जाता है।

क. सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री.....	नियमित नियुक्ति दिनांक	सेवा अवधि (वर्षों में)	प्राप्त लेवल	स्वीकृत लेवल	प्रभावी तिथि	वि०वि०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दिलीप कुमार बुनकर, व०स० सीबीईओ, विराटनगर	07.09.2000	18	L-8	L-9	07.09.18	-
2	प्रमोद कुमार गर्ग, वअ राउमावि, मौखगपुरा, दूत, जयपुर	11.11.91	27	L-13	L-14	11.11.18	-
3	कविता कुमारी, वअ राउमावि, नंगला बंजीरका, रामगढ, अलवर	10.03.2000	18	L-11	L-12	10.03.18	-
4	देशबन्धु शर्मा, स०प्र०अ० सीबीईओ, राजगढ, अलवर	17.01.90	27	L-10	L-11	17.01.17	-
5	रूपनारायण जाटव, वअ राउमावि, नया बेरवास, रामगढ, अलवर	01.07.91	27	L-12	L-13	01.07.18	-
6	अशोक कुमार गोयल, वअ राउमावि, पाटन भान, रामगढ, अलवर	21.11.91	27	L-12	L-13	21.11.18	-

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.17 के पैरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.17 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

- 01 पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
- 02 सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर विभागीय जॉच प्रस्तावित/लम्बित नहीं है एवं पूर्व में कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- 03 जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (रामावि०) को 27 वर्षीय ए०सी०पी० स्वीकृत की गई है। यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी०पी०सी० से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। तृ०वे०श्र० से व०अ० पद पर पदोन्नत शिक्षको के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक- पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06-10-2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए०सी०पी० स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक-संशिनि/मा/जय/संस्था-5/एफ-एसीपी लेवल/ 34 /2019
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 09-01-2019

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज० बीकानेर।
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक /प्रारंभिक, मुख्यालय, / ब्लॉक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर/अलवर/दौसा को उक्त कार्मिकों/शिक्षको की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
03. संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक/शिक्षक।
04. रक्षित पत्रावली।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ/डी/ए/ए/2017 दिनांक - 30.10.2017 एवं दिनांक - 28.12.2017 के अनुसार में शिक्षा अधीनस्थ/माध्यमिक कार्मिकों को निम्नानुसार आश्वसित कैरियर प्रगति स्कीम (एसीपी) वर्तमान के-मैट्रिक लेवल में स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री.....	नियमित नियुक्ति दिनांक	सेवा अवधि (वर्षों में)	प्राप्त लेवल	स्वीकृत लेवल	प्रभावी तिथि	वि०वि०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती शर्मा, केश रावरावराव, राजपुरी का बाग, जयपुर	02.11.99	18	L-11	L-12	02.11.17	-
2	कुसुमलता चौधरी, केश रावरावराव, राजपुरी, सगरमा, जयपुर	22.11.91	27	L-12	L-13	22.11.18	-
3	सन्ध्या खर, केश रावरावराव, राजपुरी, सगरमा, जयपुर	16.07.90	27	L-13	L-14	16.07.17	-
4	सुदशन देवी शर्मा, बी.पी.ए. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर	28.12.91	27	L-3	L-4	28.12.18	-
5	बालकृष्ण शर्मा, केश रावरावराव, राजपुरी, सगरमा, अलवर	14.09.2000	18	L-11	L-12	14.09.18	-
6	बालकृष्ण लाल काली, केश रावरावराव, राजपुरी, सगरमा, अलवर	07.12.91	27	L-12	L-13	07.12.18	-
7	वर्मा, जयपुर, शाहपुरा, जयपुर	12.07.91	27	L-12	L-13	12.07.18	-

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.17 के पैरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.17 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि इन्हें :-

- 01 पुनर्व्यक्ति वेतनमान, 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
- 02 सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर विभागीय जाँच प्रस्तावित/लम्बित नहीं है एवं पूर्व में कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- 03 जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जायेंगे।

उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (रामावि) को 27 वर्षीय ए०सी०पी० स्वीकृत की गई है। यदि विमान द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी०पी०सी० से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी। तृतीय से षष्ठ पद पर पदोन्नत शिक्षकों के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक- पं०५(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06-10-2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए०सी०पी० स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त खामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

दिनांक 09-01-2019

क्रमांक-संश्लि/मा/जय/सत्या-5/एफ-एसीपी लेवल/35/2019
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज० बीकानेर।
- 02 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक, मुख्यालय, / ब्लॉक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर/अलवर/दौसा को उक्त कार्मिकों/शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
- 03 संबंधित सत्या प्रधान/ संबंधित कार्मिक/शिक्षक।
- 04 रजिस्ट्रार पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

शिक्षा अधिनियम सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के निम्नांकित कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा संख्या पं. 20(1) वित्त गुप-2/दिनांक 25.1.92 एवं संशोधित आदेश दिनांक 22.11.93 एवं 17.2.98 एवं अधिसूचना संख्या पं.11(7) वित्त(नियम)2008/दिनांक 12.9.2008 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक पं.11(7)FD(नियम) 2008 पार्ट-I दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में नियमित नियुक्ति तिथि से 9/10/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम (A.C.P) स्वीकृत की जाती है। चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण (आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम) (A.C.P) की स्वीकृति कॉलम संख्या 8 में अंकित दिनांक से प्रभावी होगी।

इन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण (राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन)नियम 2008 संबंधित कार्यालयद्वारा द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.9.2008 के नियम 19 के अनुसार किया जाकर प्रति इस कार्यालय को भिजवाएँ, वेतन निर्धारण की प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुरितका में आवश्यक रूप से की जाने के साथ ही वेतन निर्धारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है तथा कर्मचारी को विभागीय जाँच/कार्यवाही में दण्डित नहीं किया गया है।

जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.6.2001 के प्रावधानानुसार ऐसे राज्यकर्मि जिनके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति से दो से अधिक बच्चे हो तो उनके लिए यह स्वीकृति आदेश निरस्त समझते हुए इस कार्यालय को मय सेवा पुरितका एवं मूल स्वीकृति के अविलम्ब सूचित करें।

क्र.सं.	नाम कर्मिक मय पदस्थापन श्री/श्रीमती/सुश्री	नियुक्ति तिथि	प-बैण्ड	अवधि वर्षों में	प-ग्रेड		प्रभावी दिनांक
					प्राप्त	स्वीकृत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्व. श्री मुकेश शर्मा, वडा राउप्रावि, केरली, विराटनगर, जयपुर	05.12.74	9300-34800	27	4200	4800	05.12.06
2	कमलेश कुमार शर्मा, वडा राउप्रावि, गुरलीपुरा बीड, जयपुर	18.12.98	9300-34800	18	4800	5400	18.12.16
3	रामलाल यादव, सोनिगो वडा राउप्रावि, रघुनाथपुरा, कोटपूतली, जयपुर	05.07.79	9300-34800	27	4200	4200 में केवल 3%	01.09.06
4	विहारी लाल शर्मा, वडा राउप्रावि, टांकरडा, गोविन्दगढ, जयपुर	01.07.98	9300-34800	18	4800	5400	01.07.16
5	सरोज वैरवा, वडा राउप्रावि, गौहब्बतपुर, उमरैण, अलवर	07.10.97	9300-34800	18	4800	5400	07.10.15
6	महेश कुमार गेरा, वडा सीबीईओ, रामगढ, अलवर	02.07.90	15600-39100	27	5400	6000	02.07.17
7	नागाराम मीणा, वडा राउप्रावि, पूछला की ढाणी, गोविन्दगढ, जयपुर	01.09.90	9300-34800	27	4800	5400	01.09.17

जिन कर्मिकों को दिनांक 31-12-06 से पूर्व A.C.P प्रभावी की गई है उन्हें उक्त स्वीकृति का नगद भुगतान दिनांक - 01 जनवरी-2007 से देय होगा। एवं उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक, रामावि को 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी0पी0सी0 से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

तु0वे0शु0 से व0अ0 पद पर पदोन्नत शिक्षको के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक- पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 66-10-2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

दिनांक 09-01-2019

क्रमांक-सशिनि/मा/जय/संस्था-5/एफ-501/86/2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 01 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उक्त कर्मिकों/शिक्षको की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुरितकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
- 02 संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित कर्मिक/शिक्षक।
- 03 रक्षित पत्रावली।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर, सम्भाग जयपुर

कार्यालय आदेश

शिक्षा अधिनस्थ सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के निम्नांकित कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा संख्या पं. 20(1)वित्त/मुप-2/92 दिनांक 25.01.92 एवं संशोधित आदेश दिनांक-22.11.93 के अनुसरण में नियुक्ति तिथि से 9.18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। कॉलम संख्या - 7 में अंकित तिथि से चयनित वेतनमान एरियर का भुगतान नकद देय होगा।

इन कर्मचारियों का संशोधित वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक-25.01.92 एवं 22.11.93 के अनुसरण में किया जाकर प्रति इस कार्यालय को भिजवाएँ। वेतन निर्धारण की प्रविष्टि कर्मचारी की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जाएँ, साथ ही वेतन निर्धारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि कार्मिक पुनरीक्षित वेतनमान, 1988 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है तथा कर्मचारी के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच/कार्यवाही किसी स्तर पर लंबित/प्रस्तावित नहीं है।

जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है तो ऐसे प्रकरणों में उनके लिये यह स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें। चयनित वेतनमान स्वीकृति के बाद कर्मचारी की सेवापुस्तिका संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करें।

यदि किसी कार्मिक का गत वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध चयन होने पर चयनित वेतनमान प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति में चयनित वेतनमान निरस्त/प्रत्याहारित करते हुए अधिक भुगतान की राशि वसूलनीय होगी।

क्रस	नाम कार्मिक मय पदस्थापन	नियुक्ति तिथि	अवधि वर्षों में	वर्तमान वेतनमान	स्वीकृत वेतनमान	प्रभावी दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री महेश चन्द्र भारद्वाज वअ वर्तमान प्रधानाचार्य, राउमावि, लगडवास, अलवर	18-08-88	9	5000-8000	5500-9000	18-08-97

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक-संशिनि/भा/जय/संस्था-5/ एफ-501 / 87 / 2019

दिनांक 09-01-2019

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 01 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उक्त कार्मिक की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करे।
- 02 संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक/शिक्षक
- 03 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

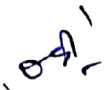
इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिउनि/मा/जय/संस्था-5/एफ-501/78/2017 दिनांक: 02.08.2017 के द्वारा श्री कमल कान्त पारीक, व0अ0 वर्तमान प्रधानाध्यापक, राबामावि, ब्रह्मपुरी छोटा अखाडा, जयपुर को 27 वर्षीय एसीपी दिनांक 02.07.2017 से स्वीकृत की गई थी। कार्मिक की पदोन्नति प्रधानाध्यापक पद पर डीपीसी वर्ष 2017-18 में चयन किये जाने से वरिष्ठ अध्यापक पद पर 27 वर्षीय एसीपी देय नहीं होने के कारण इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेश में उक्त कार्मिक के एसीपी स्वीकृति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

शेष आदेश यथावत रहेंगे।


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक:- शिउनि/मा/जय/संस्था- 5/फा-501/88 /2018 दिनांक: 09-01-2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 2 सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्मिक।
- 3 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिउनि/मा/जय/संस्था-5ब/फा-501/620-629 /2012 दिनांक: 19.11.2012 के द्वारा श्री कैलाश चन्द, व0अ0, रा.उ.मा.विद्यालय, विजयपुरा वर्तमान व्याख्याता, राउमावि, मुण्डावरा, थानागाजी, अलवर की 27 वर्षीय एसीपी नियुक्ति तिथि 02.09.85 होने के कारण दिनांक 02.09.2012 से स्वीकृत की गई थी। कर्मचारी की जिला परिषद द्वारा चयन पश्चात नियुक्ति दिनांक 13.10.88 होने के कारण नियुक्ति तिथि 13.10.88 एवं स्वीकृत तिथि 13.10.15 संशोधित कर पढ़ी जावें। शेष आदेश यथावत रहेंगे।


(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक:- संशिनि/मा/जय/संस्था-5/फा-501/89 /2018 दिनांक: 09-01-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को मय सेवापुस्तिका भेजकर लेख है कि कार्मिक के पदस्थापन स्थान पर भिजावाने की व्यवस्था करें।
- 2 सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्यालय/सम्बन्धित कार्मिक।
- 3 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

शिक्षा अधिनियम सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के निम्नांकित कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा संख्या पं. 20(1) वित्त गुप-2/दिनांक 25.1.92 एवं संशोधित आदेश दिनांक 22.11.93 एवं 17.2.98 एवं अधिसूचना संख्या पं.11(7) वित्त(नियम)2008/दिनांक 12.9.2008 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक पं.11(7)FD(नियम) 2008 पार्ट-I दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में नियमित नियुक्ति तिथि से 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण आशवासित कैरियर प्रगति स्कीम (A.C.P) स्वीकृत की जाती है। चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण (आशवासित कैरियर प्रगति स्कीम) (A.C.P) की स्वीकृति कॉलम संख्या 8 में अंकित दिनांक से प्रभावी होगी।

इन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण (राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन)नियम 2008 संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.9.2008 के नियम 19 के अनुसार किया जाकर प्रति इस कार्यालय को भिजवाएँ, वेतन निर्धारण की प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जाने के साथ ही वेतन निर्धारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है तथा कर्मचारी को विभागीय जॉच/कार्यवाही में दण्डित नहीं किया गया है।

जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.6.2001 के प्रावधानानुसार ऐसे राज्यकर्मों जिनके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति से दो से अधिक बच्चे हो तो उनके लिए यह स्वीकृति आदेश निरस्त समझते हुए इस कार्यालय को मय सेवा पुस्तिका एवं मूल स्वीकृति के अविलम्ब सूचित करें।

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन श्री/ श्रीमती/ सुश्री	नियुक्ति तिथि	पे-बैंड	अवधि वर्षों में	पे-ग्रेड		प्रभावी दिनांक
					प्राप्त	स्वीकृत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुभाष सक्सेना, वअ राउप्रावि, कालवाड खुर्द, आमेर, जयपुर	07.01.89	9300-34800	27	4800	5400	07.01.16
2	हजारी लाल मीणा, वअ राउप्रावि, तेजाजी की ढाणी, मोरीजा, जयपुर	19.07.96	9300-34800	18	4200	4800	19.07.14
3	सुरेन्द्र सिंह कश्यप, सेनि वअ रामावि, दहमीकलां, सांगानेर, जयपुर	01.12.78	9300-34800	27	4200	4800	01.12.06 विकल्प तिथि से
4	चिरजी लाल सैनी, वअ राबामावि, आंधी, ज0रा0, जयपुर	01.07.99	5200-20200	18	4200	4800	01.07.17
5	रामकिशोर यादव, वशाशि राउमावि, नांगल जैसा बौहरा, झोटवाडा, जयपुर	01.07.98	9300-34800	18	4800	5400	01.07.16
6	दिनेश्वर भट्ट, वअ रामावि, जयसिंहपुरा छोटा, लक्ष्मणगढ, अलवर	23.10.99	9300-34800	18	4200	4800	23.10.17
7	अनिल कुमार सैनी, स0प्र0अ0 राउमावि, खोहरा मलावली,	17.01.90	9300-34800	27	3600	4200	17.01.17
8	महेन्द्र सिंह यादव, व0स0 राउमावि, काकरदोपा, अलवर	23.08.85	9300-34800	27	3600	4200	23.08.13 एक वा0वे0वृ0 से दण्डित

जिन कार्मिकों को दिनांक 31-12-06 से पूर्व A.C.P प्रभावी की गई है उन्हें उक्त स्वीकृति का नगद भुगतान दिनांक - 01 जनवरी-2007 से देय होगा। एवं उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक, रामावि को 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी0पी0सी0 से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

तु0वे0श्रु0 से व0अ0 पद पर पदोन्नत शिक्षकों के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक- पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06-10-2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

दिनांक 09-01-2019

क्रमांक-संशिनि/मा/जय/संस्था-5/एफ-501 / 90 / 2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 01 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उक्त कार्मिकों/शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
- 02 संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक/शिक्षक।
- 03 रक्षित पत्रावली।

(विष्णु दत्त स्वामी)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर